Form-I
(For linear project)

Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector Baikunthpur

Letter No. 1034 Date: 26/8/2017

## TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ("FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose, it is certified that **Total 10.469 Ha. Forest land** proposal to be diverted in favor of **Public Work Department (PWD) Division Koriya (Manendragarh),** (Name of Agency) for **Amarpur to Chirmiri Road Widening work** (purpose) for diversion of forest land in koriya District fall within jurisdiction of Potedand (Tengani) Village in Baikunthpur Tehsil.

It is further certified that:

a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **10.469 Ha. Revenue & Protected Forest land** for diversion a copy of record of all consultation and meeting of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division level committees and the District level Committee are enclosed as Annexure **1 to 3.**

b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consents to it;

c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

**Enclose: AS above**

25-8-2017
Collector
Distt. Koriya (CG)
COLLECTOR
DISTT. KORIYA
25/8

प्रदर्श–"स"

# प्रमाण पत्र

लोक निर्माण विभाग संभाग कोरिया, मनेन्द्रगढ़ को अमरपुर से चिरमिरी मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नतीकरण कार्य हेतु कोरिया जिला में कोरिया वनमंडल के ग्राम पोटेड़ाड़ (टेंगनी), गांव के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 10.352 हे0 आरक्षित व संरक्षित वन भूमि तथा 0.117 हे0 राजस्व वन भूमि कुल 10.469 हे0 वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 10.352 हे0 एवं राजस्व वन भूमि 0.117 हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम पोटेडाड, तहसील बैकुण्ठपुर में स्थित है, मै तद्नुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

   ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 10/10/2014 प्रदर्श–"अ" एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जॉच प्रतिवेदन (प्रदर्श–"ब") पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्तावित ग्राम पोटेडाड (टेंगनी) में श्रीमती सावित्री बाई की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 10/10/2014 में रखा गया था एवं इसमें 70 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

   अथवा

   प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है –

| क्र0 | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हे0 में) |
|---|---|---|---|
| 1 | ग्राम पोटेड़ाड़ (टेंगनी) | निरंक | निरंक |

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 10/10/2014 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी0टी0जी) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार 'अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनिय, 2006 की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 10/10/2014/दिनांक 16.07.2017 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

26.8.2017

कलेक्टर

जिला–कोरिया (छ0ग0)

COLLECTOR DISTT. KOREA

.docx

# अनुविभाग स्तर वन अधिकार समिति बैकुण्ठपुर
## जिला कोरिया (छ0ग0)

### वन अधिकार मान्यता अधिनियम अन्तर्गत कार्यवाही विवरण

लोक निर्माण विभाग संभाग कोरिया, मनेन्द्रगढ़ द्वारा ग्राम पोटेड़ाड़ (टेंगनी) तहसील बैकुण्ठपुर अन्तर्गत प्रस्तावित अमरपुर से चिरमिरी मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नतीकरण कार्य किया जाना है उपरोक्त कार्य में 0.117 हे. राजस्व वन भूमि एवं 10.352 हे. आरक्षित एवं सरंक्षित वन भूमि कुल 10.469 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है, उक्त वन भूमि को वन सरंक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तीत किया जाना है। 10.469 हे. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का वन अधिकार पत्र प्रदान नही किया गया है जिस संबंध में ग्राम पोटेड़ाड़ (टेगनी) में दिनांक 10/10/2014 को आयोजित ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

उपरोक्त विषय अन्तर्गत दिनांक 16/7/17 को अनुविभागीय स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में अमरपुर से चिरमिरी मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नतीकरण कार्य में प्रभावित 3. 987 हे. वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006) अन्तर्गत किसी प्रकार का पट्टा वितरित नही किया गया है और न ही वितरण करना प्रस्तावित है। अतः अनुविभाग स्तर वन अधिकार समिति बैकुण्ठपुर द्वारा अनुमोदन किया गया है।

दिनांक :

स्थान :

[signature] 16/7/17
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (छ.ग.)

[signature]
अनुविभागीय अधिकारी (वन)
उप वन मण्डलाधिकारी
बैकुण्ठपुर

समिति सदस्य

रामकिशुन
अध्यक्ष
वन समिति
मंगलपाल (सदस्य)
सोनलाल (सदस्य)
यशवंत सिंह (सदस्य)
रबलनाथ

समिति सदस्य

ओंकारराम
अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
हरनारायण (सदस्य)
दुर्गुकंवर (सदस्य)

प्रदर्श–"अ"

# ग्राम सभा पोटेड़ाड़ की बैठक दिनांक 10/10/2014 की कार्यवाही विवरण

ग्राम : **पोटेड़ाड़ (टेंगनी)**
स्थान : **पंचायत भवन**

आज दिनांक **10/10/2014** को **ग्राम पंचायत पोटेड़ाड़ ग्राम टेंगनी** में **सावित्री बाई** की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गयी है । इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति टेंगनी के अध्यक्ष एवं सदस्य 70 प्रतिशत उपस्थित थे, बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :–

1. **ग्राम टेंगनी,** में आवेदक **लोक निर्माण विभाग संभाग कोरिया, मनेन्द्रगढ़** ने **अमरपुर से चिरमिरी मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्तीकरण** के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु **10.352 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि** एवं **0.117 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि** कुल **10.469 हेक्टेयर वन भूमि** की मांग की गई है, इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी ।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी ।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी । जो वन भूमि **अमरपुर से चिरमिरी मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्तीकरण** कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नही संपादित कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नही दिया गया है ।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :

| क्रमांक | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हे.मे) |
|---|---|---|---|
| 1 | (पोटेड़ाड़)टेंगनी | निरंक | निरंक |

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि **10.352 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि** एवं **0.117 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि** कुल **10.469 हेक्टेयर वन भूमि** गैर वानिकी प्रयोजन हेतु **लोक निर्माण विभाग संभाग कोरिया, मनेन्द्रगढ़** आवेदक **वन सरंक्षण अधिनियम 1980** अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे ।

हस्ताक्षर सचिव
सचिव
ग्राम पंचायत पोटेड़ाड़
वि.सं. [illegible]

सावित्री बाई
हस्ताक्षर सरपंच
ग्राम पंचायत पोटेड़ाड़
[illegible]